आर.सी.एम.एस. नम्बर 2024/125

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 69/2024 (संजय बनाम अशोक वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 17.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.12.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम मलसीसर स्थित भूमि हाल ख0न0 109, 110, 114 कुल किता 3 कुल रकबा 7.50 है0 भूमि में कुनणमल के 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक को 1/108 वें हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को सयुंक्त रूप से 1/108 वें हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 से 17 को सयुंक्त रूप से 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 से 21 को सयुंक्त रूप से 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 व 23 प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 से 30 को सयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 31 से 35 को सयुंक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 36 से 38 को सयुंक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 39 को 1/6 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 17.12.2024 को जारी की गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर